Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd.

Public Notice

In compliance to section 62 of the Electricity Act, 2003 and relevant provisions of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021, Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd. (CSPGCL) has filed a Petition before the Hon'ble Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) for True up of ARR for FY 2023-24 and determination of ARR for FY 2025-26 for its Conventional Plants . This petition has been registered as petition no. 95 of 2024.

The Standalone Gap for FY 2023-24 is Rs. 246.05 Cr. and with carrying cost the recoverable Gap in FY 2025-26 is Rs. 294.74 Cr.

Summary of AFC and ECR for FY 2025-26

Power Station	**HTPS**	**DSPM TPS**	**KWTPP**	**ABVTPS**	**HBHPS**
AFC (Rs Cr)	863.71	583.08	621.85	1506.43	37.19
ECR (Rs/kwh)	1.603	1.727	1.362	1.944	-

Note: For simple representation, in the above AFC contribution to Gratuity/Pension Trust & Ash Utilization expenses has been added to the actual AFC claimed in the petition. The pass through charges as mentioned in the Regulations / orders shall be recoverable on actual reimbursement basis.

Objections / Suggestions, on the above petition, may be submitted to the Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG), E-mail: cserc.sec.cg@nic.in with a copy to Chief Engineer (C&RA), CSPGCL, Vidyut Sewa Bhawan Daganiya Raipur – 492013, Email: edcnra@cspc.co.in, within 21 days of publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are also available on the Commission's website www.cserc.gov.in and CSPGCL website https://cspgcl.co.in. Hardcopy of the aforesaid petition is available in office of the Commission as well as in the office of Chief Engineer (C&RA) CSPGCL and same can be purchased by paying an amount of Rs. 300/- from 11 AM to 4 PM on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 100/- as postal expenses. Notice for hearing on aforesaid petition shall be published separately by CSERC in the newspapers.

Chief Engineer (C&RA)
CSPGCL, Raipur

छत्तीसगढ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित

आम सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के प्रावधानों सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (छ.रा.वि.उ.कं.लि.) के द्वारा अपने पारंपरिक विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिये वित्तीय वर्ष 2023–24 के वास्तविकीकरण (ट्रू–अप) के अनुमोदन एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये आवश्यक वार्षिक राजस्व के निर्धारण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सी.एस.ई.आर.सी.) के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है। इस याचिका को याचिका क्र. 95/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये शुद्ध राजस्व कमी रु. 246.05 करोड़ है तथा कैरिंग कॉस्ट सहित वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रतिपूर्ति योग्य कमी रु. 294.74 करोड़ है।

<u>वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये आवश्यक वार्षिक स्थिर प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार का सार</u>

उत्पादन संयंत्र	एच.टी.पी.एस.	डी.एस.पी.एम. टी.पी.एस.	के.डब्लू.टी.पी.पी.	ए.बी.वी.टी.पी.एस.	एच.बी.एच.पी.एस.
स्थिर प्रभार (करोड़ रु.)	863.71	583.08	621.85	1506.43	37.19
ऊर्जा प्रभार (रु. प्रति इकाई)	1.603	1.727	1.362	1.944	-

टीपः सरलता की दृष्टि से उपरोक्त स्थिर प्रभार में ग्रेट्यूटी एवं पेंशन ट्रस्ट तथा राखड़ के उपयोग हेतु खर्च को याचिका में उल्लेखित स्थिर प्रभार में जोड़कर दर्शाया गया है । विनियमों एवं आदेशों में उल्लेखित पास–थ्रू प्रभार वास्तविक खर्च के आधार पर प्रतिपूर्ति योग्य होंगे।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति इस आम सूचना के प्रका" ान के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, भाांति नगर, रायपुर – 492001, ईमेल cserc.sec.cg@nic.in के समक्ष, मुख्य अभियंता (सी.एंड आर.ए.), सी.एस.पी.जी.सी.एल. विद्युत सेवा भवन डंगनियां रायपुर – 492013, ईमेल edcnra@cspc.co.in को प्रतिलिपि के साथ, प्रस्तुत किये जा सकते है।

याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in एवं सी.एस.पी.जी.सी.एल की वेबसाइट https://cspgcl.co.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं साथ ही मुख्य अभियंता (सी.एंड आर.ए.), सी.एस.पी.जी.सी.एल. कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रुपये 300/– का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सांयः 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रुपये 100/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रका" ात की जावेगी।

मुख्य अभियंता (सी. एंड आर.ए.)

सी.एस.पी.जी.सी.एल., रायपुर